न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 95 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. शंकर पिता स्वर्गीय देवा जगावत डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती नाथी बेवा धूला डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती दुर्गा पुत्री धूला डांगी पत्नी दलीचन्द डांगी, निवासी बॉसा, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
4. नाथूलाल पिता धूला डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. उदयलाल पिता रोडा डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती वरजू बेवा हीरालाल डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
3. हेमराज पिता हीरालाल डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती लाली बाई बेवा मेगा डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
5. सवाईलाल पिता मेगा डांगी, निवासी ओरवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर
दिनांक 23.07.2024 प्र. सं. 15 / 20

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री आलोक जैन अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 20–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 उदयलाल व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 के पति हीरालाल द्वारा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष गोईन्दा डांगी थे, जिनके तीन पुत्र भीमा, गांगा व रोडा हुए। प्रतिवादी संख्या 1 भीमा का वारिस है, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 गांगा के वारिस हैं तथा वादीगण रोडा के पुत्र होकर भीमा, गांगा व रोड़ा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। मौजा ओडवाडिया में खाता संख्या 567 में वर्णित आराजियात कुल किता 25 रकबा 2.11 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार अपने पूर्वजों के समय से काबिज चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23–01–2023 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23–07–2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विभाजन के समय पुराने कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा फर्द बंटवारा तैयार नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर अपनी असहमति प्रकट की गयी है, जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। वादीगण के हिस्से में पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए बंटवारा दिनांक 19–06–1979 अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। विभाजन में वादीगण को प्रतिवादीगण के मुकाबले 0.1000 हैक्टर रकबा अधिक दिया गया है तथा उन्हें अच्छी किस्म की भूमि दी गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा मौके व वास्तविक कब्जे एवं बंटवारा नियमों को ध्यान में रखते हुए पुनः अंतिम डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

जारी करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (29) 2022 Page 8, RBJ (29) 2022 Page 446, RBJ (29) 2022 Page 679, RBJ (30) 2023 Page 567 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा नियमों के अनुसार ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर अनुसार तहसीलदार स्वयं को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था। प्रकरण में यह भी प्रकट होता है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण के अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा बंटवारा प्रस्ताव के साथ जो नक्शा ट्रेस प्रस्तुत हुआ है, उसके अनुसार पक्षकारों को अलग–अलग चक में टुकड़ो में भूमि दी जाना प्रकट होता है तथा फर्द बंटवारे अनुसार रकबा भी कम ज्यादा दिया गया है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–07–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति स्वयं तहसीलदार, सलुम्बर द्वारा फर्द बंटवारा तैयार कर पक्षकारान के कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में सभी पक्षकारों को अच्छी से अच्छी एवं खराब से खराब समान रूप से भूमि दी जाकर बंटवारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवारे पर किसी पक्षकार को आपत्ति हो तो उसका निराकरण करते हुए पुनः नये सिरे अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested